रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1503] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ज्ये"B 5, 1939
No. 1503] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/JYAISTHA 5, 1939

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

का.आ. 1698(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3229 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें अन्य सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद शहर के समीप तेलंगाना के रंगरेड्डी जिले में घनी आबादी और आवासीय सह वाणिज्यिक क्षेत्र में अवस्थित है और 1459 हेक्टेयर के क्षेत्रफल तक विस्तारित है;

और, राष्ट्रीय उद्यान तेजी से विकसित हो रहे हैदराबाद शहर के लिए एक बृहत कार्बन सिंक का कार्य करता है, दक्षिणी पठार के अत्यंत जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले वनस्पति, जंतु और अद्धितीय शैल निर्माण जिसमें 600 से अधिक पौधों की प्रजाति, 110 पक्षियों की प्रजाति, 20 स्तनपायियों की प्रजाति, 20 सरीसृप और अभेचरों की प्रजाति, कीड़ों और अन्य अकशेरुकीय की प्रजाति सम्मिलित है, का अंतिम अवशेष है ;

और, राष्ट्रीय उद्यान भारतीय काले हिरण, चार सींग वाले हिरण, चित्तेदार हिरण, भारतीय साही, जंगली बिल्ली, सामान्य नेवला, भारतीय ऊदबिलाव, काला जंगली खरगोश, बनैला सूअर का समुचित आवास है;

और, इस क्षेत्र प्रारुपिक दक्षिणी पठार वनस्पति को दर्शाया हरित क्षेत्र है जहां, रेन्डे डयूमाटोरियम, जिजिफस मांरिटियाना, बाउहिनिया रेसमोसा, केशिया फिस्टयूला, अकेशिया ल्यूकोप्ले और अनोना स्कामोसा जैसे पौधों की प्रजातियां है;

और, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और वन्यजीव के सुधार और विकास करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन में महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की चारों तरफ से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें तेलंगाना के रंगरेड्डी जिला के 17 ग्राम सम्मिलित है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 40.56 वर्ग किलोमीटर है ।

(2) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** में दिया गया है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागबानी ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पारिस्थितिक-पर्यटन सहित पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका और नगर विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और समर्थनकारी मानचित्र और विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देते हुए मानचित्रों द्वारा समर्थित होगी ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा विनियमित करेगी स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

IndiaCode

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विनिर्दिष्ट कृषि और अन्य भूमि से भिन्न कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू सुसंगत राज्य विधियों और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं जिसमें गृह वास भी है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और जिन्हे पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परन्तु यह और कि जनजातीय भूमि का कोई उपयोग राज्य सरकार की सुसंगत राज्य विधियों तथा इसके अधीन बनाए नियमों और उपनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि ऊपर निर्दिष्ट त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना समाविष्ट होगी ।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विद्यमान सभी नए पारिस्थितिक क्रियाकलाप या पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक का रूप होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 1 कि. मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक कि.मी. की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों तथा रिसोर्ट का संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और नए होटलों तथा रिसार्ट की स्थापना केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए अभ्यंकित और नामोर्दिष्ट क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी;

IndiaCode

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये होटल/ रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापनों का विनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में भाग होगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण – पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार संकलित किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 (1981 का 14) और इसके अधीन किए गए नियमों के अनुसार संकलित किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सारण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषक तत्वों के निस्सारण के साधारण मानकों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; और जैविक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर स्वीकार्य रीति में किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट - जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन - पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन - पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

MadhaCode

(13) ई–अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूलन रीति द्वारा विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने तक और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गति के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) यानीय प्रदूषण - लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जानें हैं ।

(16) औद्योगिक इकाइयां - (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन को या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में केवल गैर- उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को तब तक अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना उन पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य अतिरिक्त उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) तथा इनमें किए गए संशोधनों सहित अन्य लागू विधियों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
		क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसार की जाएगी ।
2.	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी

		दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है ।
7.	फर्मों, कॉरपोरेट कंपनियों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे अन्यथा नहीं।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	नए काष्ट आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण;

		(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
17.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
19.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
21.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी किनारों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
24.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
26.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।

28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाना है ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास प्रत्यावर्तन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति.—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए निगरीनी समिति गठित करती है, पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

(क) जिला कलक्टर, रंगरेड्डी जिला - अध्यक्ष;

(ख) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य ;

(ग) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(घ) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य;

(ङ) क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजना अधिकारी - सदस्य ;

(च) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य ;

(छ) जिला वन्यजीव रक्षक, रंगरेड्डी/प्रभागीय वन अधिकारी (टी) रंगरेड्डी जिला -सदस्य सचिव।

IndiaCode

6. निर्देश का निबंधन:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) ऐसे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हे भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन सम्मिलित नहीं किया गया है, उसके पैरा के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबद्ध पार्क का उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

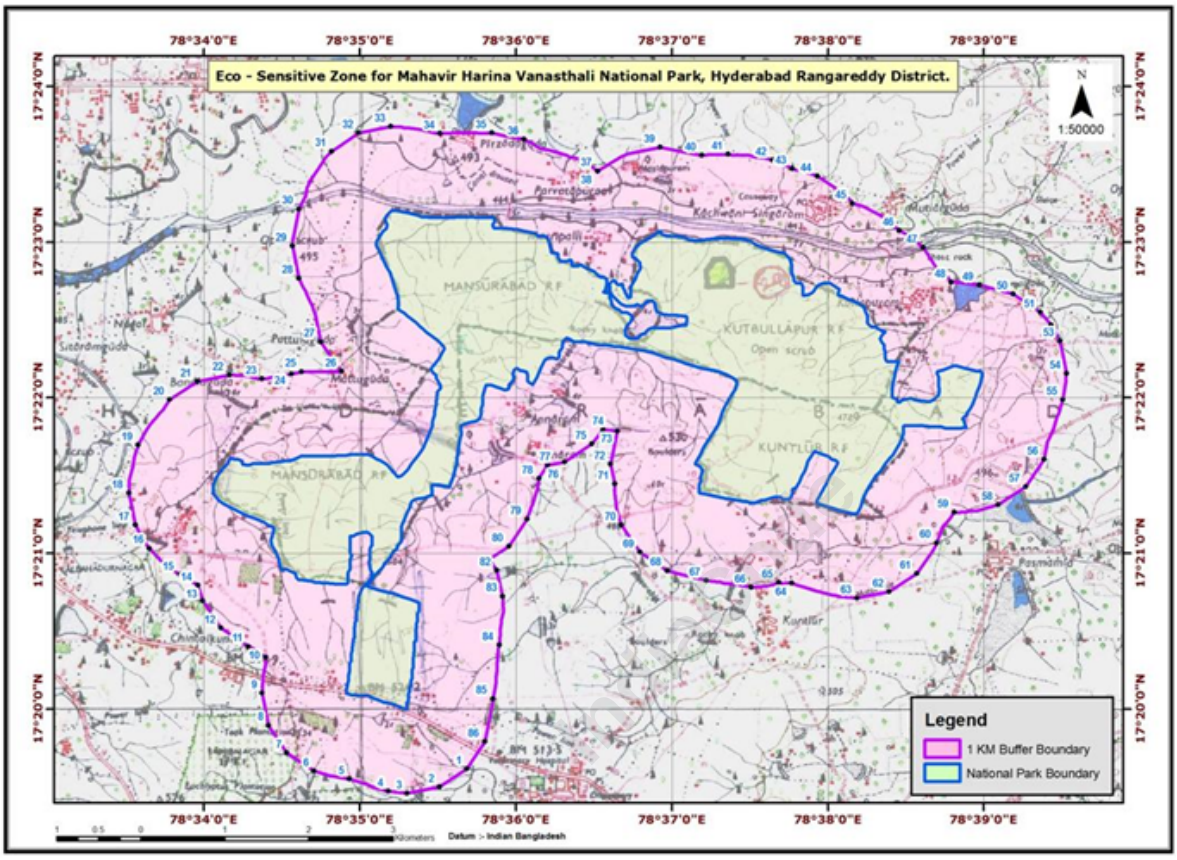
[फा. सं. 25/15/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध-I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाएं

महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र की सीमा तेलंगाना राज्य के रंगरेड्डी जिला में पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के एक किलोमीटर से 17.21.300 से 17.39498 उत्तर अक्षांश और 78.3430 से 78.65828 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है।

- पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत क्षेत्र में आने वाली सरकारी भूमि और कुछ निजी भूमियां भी यहाँ है ।
- सरकारी भूमियां भारत भौगोलिक सर्वेक्षण और सूखे और शुष्क भूमि के लिए फसल अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) से संबंध रखती है।
- निजी भूमियां संनिर्माणों के भिन्न प्रकारों और कुछ कृषि भूमियों से आच्छादित है ।

महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, हैदराबाद हैदराबाद शहर के विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के हैदराबाद के दक्षिण की ओर स्थित है । महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, हैदराबाद 1459 हेक्टेयर घनी आबादी वाले आवासीय सह वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित है और हैदराबाद के आसपास के क्षेत्र में अंतिम शेष प्राकृतिक वन पारिस्थितिक व्यवस्था है जो हैदराबाद के बढ़ते शहर के लिए पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है।

महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन के स्टेशनों का स्थान		
आई डी	देशांतर	अक्षांश
1	78.59473	17.32694
2	78.59182	17.32499
3	78.58837	17.32431
4	78.58635	17.32454
5	78.58219	17.32588
6	78.57843	17.32673
7	78.57551	17.32868
8	78.57356	17.33160
9	78.57288	17.33504
10	78.57328	17.33889
11	78.57142	17.34005
12	78.56850	17.34200
13	78.56655	17.34492
14	78.56602	17.34661
15	78.56408	17.34774
16	78.56084	17.35056
17	78.55934	17.35303
18	78.55865	17.35647
19	78.55966	17.36158
20	78.56303	17.36647
21	78.56595	17.36842
22	78.56939	17.36910
23	78.57289	17.36866
24	78.57601	17.36921
25	78.57711	17.36945
26	78.58141	17.36950
27	78.57916	17.37266
28	78.57681	17.37945
29	78.57613	17.38289
30	78.57681	17.38688
31	78.58031	17.39305
32	78.58323	17.39500
33	78.58667	17.39568
34	78.59191	17.39494

IndiaCode

35	78.59745	17.39501
36	78.60089	17.39432
37	78.60872	17.39093
38	78.60872	17.39093
39	78.61544	17.39349
40	78.61987	17.39260
41	78.62270	17.39272
42	78.62740	17.39209
43	78.62951	17.39119
44	78.63220	17.39039
45	78.63592	17.38750
46	78.64098	17.38455
47	78.64352	17.38272
48	78.64651	17.37902
49	78.64951	17.37873
50	78.65312	17.37778
51	78.65604	17.37583
52	78.65716	17.37446
53	78.65812	17.37272
54	78.65880	17.36928
55	78.65844	17.36645
56	78.65641	17.36008
57	78.65446	17.35716
58	78.65154	17.35521
59	78.64682	17.35440
60	78.64495	17.35113
61	78.64281	17.34786
62	78.63989	17.34591
63	78.63645	17.34522
64	78.62948	17.34681
65	78.62808	17.34686
66	78.62516	17.34638
67	78.62033	17.34712
68	78.61615	17.34816
69	78.61323	17.35011
70	78.61128	17.35303
71	78.61057	17.35744
72	78.61014	17.35956
73	78.61087	17.36307
74	78.60933	17.36327

IndiaCode

75	78.60812	17.36173
76	78.60520	17.35978
77	78.60340	17.35942
78	78.60245	17.35803
79	78.60119	17.35367
80	78.59924	17.35075
81	78.59716	17.34936
82	78.59794	17.34820
83	78.59860	17.34542
84	78.59823	17.34020
85	78.59753	17.33445
86	78.59668	17.32986

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	**ग्राम के नाम**	**देशांतर**	**अक्षांश**	**मण्डल के नाम**
1	हयातनगर	78.60455	17.32532	हयातनगर
2	अन्नाराम	78.60229	17.36163	हयातनगर
3	कुंतलूर	78.62681	17.34249	हयातनगर
4	पसुमामूला	78.65093	17.35009	हयातनगर
5	कोथलापुरम (दतबुलापुरम)	78.64263	17.37724	हयातनगर
6	थिमाईगुडा	78.65467	17.37786	हयातनगर
7	कचवानी-सींगाराम	78.63174	17.38677	घाटकेसर
8	मसीदपुरम	78.61252	17.39150	हयातनगर
9	पर्वतपुर	78.60586	17.38994	घाटकेसर
10	पीरजादीगुड़ा	78.59436	17.39409	उप्पल
11	पत्तुल्लागुड़ा	78.58089	17.37166	उप्पल
12	बंदलागुड़ा	78.57008	17.36825	उप्पल
13	मरिपल्ली	78.60833	17.38390	हयातनगर
14.	साहिबनगर	17.32680	17.32680	-
15.	चिंतलकुन्ता	17.34164	78.56316	-
16.	मुत्तुगुड़ा	17.36968	78.58157	-
17.	मुतियालगुड़ा	17.38757	78.64013	-

IndiaCode

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2017

S.O. 1698(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3229 (E), dated 1st December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Mahavir Harina Vanasthali National Park is located in Ranga Reddy District of Telangana in a densely populated and residential cum commercial area in close vicinity to the city of Hyderabad and is spread over an area of 1459 hectare;

AND WHEREAS, the National Park acts as a vast carbon sink for the rapidly developing city of Hyderabad, stands as the last vestige of the flora, fauna and unique rock formations representing the rich bio-diversity of Deccan Plateau, which includes more than 600 plant species, 110 bird species, 20 Mammal species, 20 species of Reptiles & Amphibians, hundreds of species of insects, and other invertebrates;

AND WHEREAS, the National Park provides perfect habitat for Indian black buck, Four horned antelope, spotted deer, Indian porcupine, civet cat, common mongoose, Indian Pangolin, black napped hare, wild boar;

AND WHEREAS, the area supports vegetation which represents typical typical Deccan flora and has plant species such as *Randea deumatorium, Ziziphus mauritiana, Bauhinia racemosa, Cassia fistula, Acacia leucoploea, and Anona squamosa;*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the Mahavir Harina Vanasthali National Park and to propagate improvement and development of the wildlife therein and its environment;

AND WHEREAS, it become necessary to specify certain areas are around the Mahavir Harina Vanasthali National Park as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub–section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to one kilometer all around the boundary of the Mahavir Harina Vanasthali National Park in the State of Telangana, as the Mahavir Harina Vanasthali National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-

(1) The Eco-sensitive Zone has an extent of up to one kilo meters all around the boundary of the Mahavir Harina Vanasthali National Park and includes 17 villages in Rangareddy District of Telangana State and the area of Eco-sensitive Zone is 40.56 square kilo meters.

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes and boundary description is appended as **Annexure I.**

(3) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture & Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including Eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal & urban development;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

indiacode

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Mahavir Harina Vanasthali National Park or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate

Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone Notification 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within the Eco-sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is prohibited.

7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	New wood based industry.	Regulated under applicable laws.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board in February 2016; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) promoted activities listed in this Notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
16.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.

17.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
19.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
22.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
28.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
29.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:—

(a) District Magistrate and Collector, Ranga Reddy District — Chairman

(b)	One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of three years in each case	—	Member
(c)	one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of three years in each case	—	Member
(d)	Regional Officer, State Pollution Control Board	—	Member.
(e)	Senior Town Planner of the area	—	Member.
(f)	Member, State Biodiversity Board,	—	Member;
(g)	District Wildlife Warden, Rangareddy/Divisional Forest officer (T), Rangareddy District	—	Member Secretary.

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

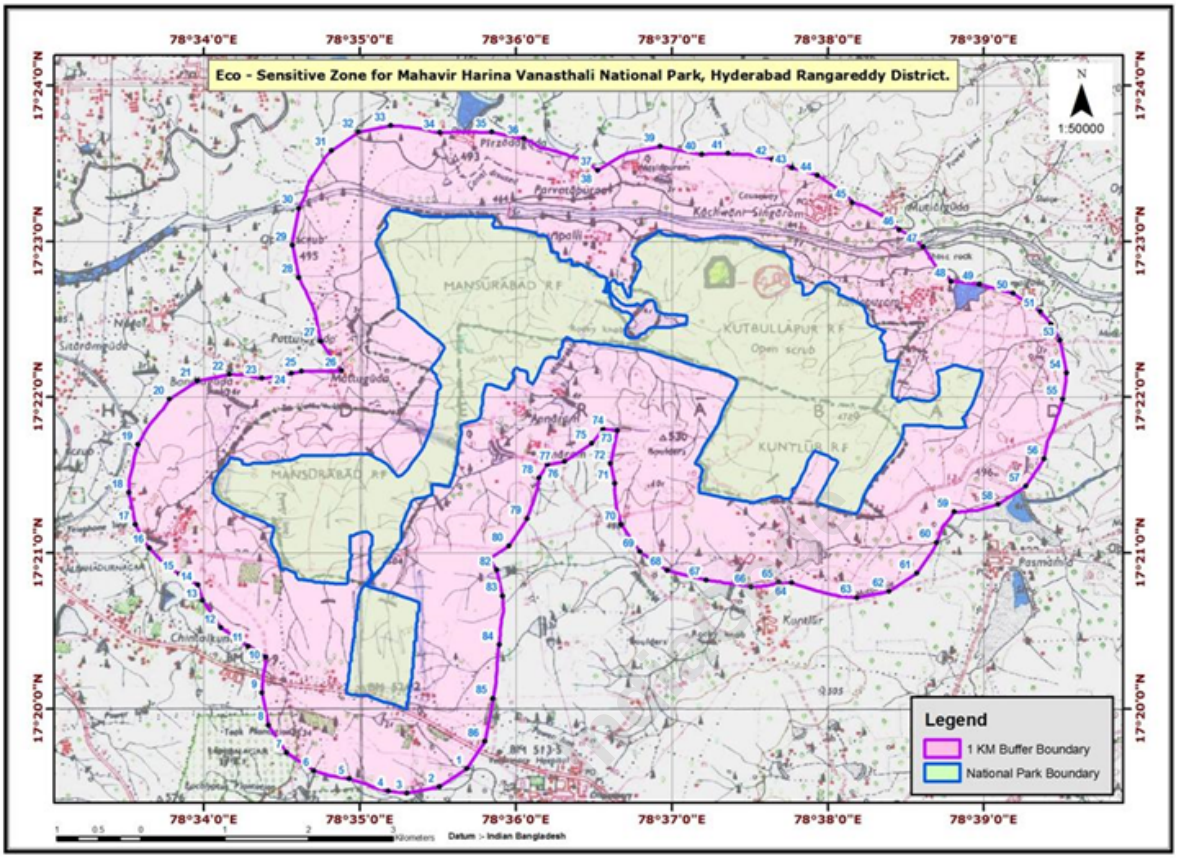
[F.No.25/15/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone



Boundaries of Eco-sensitive Zone:-

The Eco-sensitive zone is the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of Mahavir Harina Vanasthali National Park, situated in the Rangareddy District of Telangana State between 17.21.300 to 17.39498 North latitude and between 78.3430 to 78.65828 East longitude.

- The area falling under Eco-sensitive zone is Government land and some Private lands are also there.
- The Government lands belong to Geological survey of India and Crop Research Institute for Dry and Arid lands (CRIDA).
- The Private lands are covered with different types of constructions and also some agricultural lands.
- The Mahavir Harina Vanasthali National Park (MHVNP), Hyderabad is located from the city of Hyderabad towards southeast of Hyderabad on Vijayawada National Highway-9. The Mahavir Harina Vanasthali National Park, Hyderabad of 1459 Hectare is located in a densely populated residential cum commercial area and is the last remaining natural forest eco system in the vicinity of Hyderabad making it ecologically significant for the growing city of Hyderabad.

LOCATION OF STATIONS IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF MAHAVIR HARINA VANASTHALI NATIONAL PARK,

ID	Longitude	Latitude
1	78.59473	17.32694
2	78.59182	17.32499
3	78.58837	17.32431
4	78.58635	17.32454
5	78.58219	17.32588
6	78.57843	17.32673
7	78.57551	17.32868
8	78.57356	17.33160
9	78.57288	17.33504
10	78.57328	17.33889
11	78.57142	17.34005
12	78.56850	17.34200
13	78.56655	17.34492
14	78.56602	17.34661
15	78.56408	17.34774
16	78.56084	17.35056
17	78.55934	17.35303
18	78.55865	17.35647
19	78.55966	17.36158
20	78.56303	17.36647
21	78.56595	17.36842
22	78.56939	17.36910
23	78.57289	17.36866
24	78.57601	17.36921
25	78.57711	17.36945
26	78.58141	17.36950
27	78.57916	17.37266
28	78.57681	17.37945
29	78.57613	17.38289
30	78.57681	17.38688
31	78.58031	17.39305
32	78.58323	17.39500
33	78.58667	17.39568
34	78.59191	17.39494
35	78.59745	17.39501
36	78.60089	17.39432
37	78.60872	17.39093
38	78.60872	17.39093
39	78.61544	17.39349
40	78.61987	17.39260
41	78.62270	17.39272
42	78.62740	17.39209
43	78.62951	17.39119
44	78.63220	17.39039
45	78.63592	17.38750
46	78.64098	17.38455
47	78.64352	17.38272

IndiaCode

48	78.64651	17.37902
49	78.64951	17.37873
50	78.65312	17.37778
51	78.65604	17.37583
52	78.65716	17.37446
53	78.65812	17.37272
54	78.65880	17.36928
55	78.65844	17.36645
56	78.65641	17.36008
57	78.65446	17.35716
58	78.65154	17.35521
59	78.64682	17.35440
60	78.64495	17.35113
61	78.64281	17.34786
62	78.63989	17.34591
63	78.63645	17.34522
64	78.62948	17.34681
65	78.62808	17.34686
66	78.62516	17.34638
67	78.62033	17.34712
68	78.61615	17.34816
69	78.61323	17.35011
70	78.61128	17.35303
71	78.61057	17.35744
72	78.61014	17.35956
73	78.61087	17.36307
74	78.60933	17.36327
75	78.60812	17.36173
76	78.60520	17.35978
77	78.60340	17.35942
78	78.60245	17.35803
79	78.60119	17.35367
80	78.59924	17.35075
81	78.59716	17.34936
82	78.59794	17.34820
83	78.59860	17.34542
84	78.59823	17.34020
85	78.59753	17.33445
86	78.59668	17.32986

IndiaCode

Annexure II

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Village Name	Longitude	Latitude	Name of the Mandal
1	Hayatnagar	78.60455	17.32532	Hayathnagar
2	Annaram	78.60229	17.36163	Hayathnagar
3	Kuntloor	78.62681	17.34249	Hayathnagar

4	Pasumamula	78.65093	17.35009	Hayathnagar
5	Kothlapuram (Dutbullapuram)	78.64263	17.37724	Hayathnagar
6	Thimmaiguda	78.65467	17.37786	Hayathnagar
7	Kachvani-singaram	78.63174	17.38677	Ghatkesar
8	Masidpuram	78.61252	17.39150	Hayathnagar
9	Parvathapur	78.60586	17.38994	Ghatkesar
10	Pirzadiguda	78.59436	17.39409	Uppal
11	Pattullaguda	78.58089	17.37166	Uppal
12	Bandlaguda	78.57008	17.36825	Uppal
13	Marripalli	78.60833	17.38390	Hayathnagar
14.	Sahibnagar	17.32680	17.32680	-
15.	Chintalkunta	17.34164	78.56316	-
16.	Muttuguda	17.36968	78.58157	-
17.	Mutialguda	17.38757	78.64013	-

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:

 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.05.31 19:15:31 +05'30'